

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 105/2021

दायर दिनांक: 27.12.2021

उनवान

- 1 (मृतक) सोहनबाई पत्नी मदनलाल जाति धाकड़
- 1/1 भगवानसिंह माता सोहनबाई पि. मदनलाल जाति धाकड़
- 1/2 तेजपाल माता सोहनबाई पि. मदनलाल जाति धाकड़ नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
- 1/3 मधुबाला माता सोहनबाई पिता मदनलाल पत्नी हरिओम जाति धाकड़ नि. रावतभाटा तहसील रावतभाटा
- 1/4 मदनलाल पिता घांसीलाल जाति धाकड़ नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन

- वादीगण

बनाम

1. केलाशचन्द आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
2. जतनबाई पत्नी धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
3. जानकीलाल आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
4. नोदियान बाई पत्नी कंसरीलाल पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हाल गादिया कुक्शा तह० रामगंजमण्डी
5. भेरूलाल आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
6. भवानीलाल आ० धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
7. मनोहर बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रूपलाल जाति धाकड़ नि. हाल धुआखेड़ी तह. भानपुरा
8. (मृतक) मानबाई पत्नी रामप्रताप जाति धाकड़
9. मोतीलाल आ० धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
10. रतुबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामसिंह जाति धाकड़ नि. मरलावदा तह० पचपहाड़
11. मेनेजर साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सुनेल
12. बैंक मेनेजर साहब, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा हेमड़ा
13. तहसीलदार साहब, तहसील सुनेल

- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक -

वकील वादीगण - श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. 1 से 12 - एकतरफा

प्रतिवादी सं. 13 - परोकार सरकार



उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



जिला झालावाड़ राज.

मदनलाल - मधुबाला लाल - भगवानसिंह तेजपाल माता



निर्णय


दिनांक 28/09/2025

सत्रावली पेश हुई। अधिभाषक वादीगण उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अर्जगत धारा 53, 204 राजस्थान कायमकारी अधिनियम में साम हेमडा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 191 किता 9 रकबा 4.5401 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 19/08/2025 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिरसा एवं मौक पर कब्जा कायम के आधार पर उभयपक्षकारण की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को सुविधित रखने हुए राजस्थान कायमकारी (सरकारी) नियमों के सख्तियुक्त में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1192 दिनांक 19/09/2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। अधिभाषक वादीगण की सहस सुनी गई। अधिभाषक वादीगण की सहमति से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19/08/2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी साम हेमडा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 191 किता 9 रकबा 4.5401 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।



क्र.	खातेदार का नाम	खानों	रकबा है.	दिनांक
1	भगवानसिंह नागर पि. मदनलाल हि. 1/4 जाति धाकड़ नि. झालरापाटन रहन BIKRGA हेमडा देजपाल नागर पि. मदनलाल हि. 1/4 जाति धाकड़ नि. झालरापाटन रहन BIKRGA हेमडा मधुवाला नागर पिता मदनलाल हि. 1/4 जाति धाकड़ नि. झालरापाटन रहन BIKRGA हेमडा मदनलाल पिता सोसीलाल हि. 1/4 जाति धाकड़ नि. झालरापाटन रहन BIKRGA हेमडा	416/1	1.0000	संक्षिप्त
		447/1	0.1350	मध्य
2	केलाशचन्द आ. रामप्रताप हि. 1/6 जाति धाकड़ नि. हेमडा रहन BIKRGA सुनेल	किता 2	1.1350	
		416/2	0.5425	पूर्व
		447/2	0.4194	दक्षिण


 अग्रज अग्रज
 जज, जिला न्यायालय (सत्र)

जानकीलाल आ० रामप्रताप हि. 1/6 जाति धाकड़ नि. हेमड़ा रहन BOB सुनेल	447/3	0.3688	उत्तर
भेरूलाल आ० रामप्रताप हि. 1/6 जाति धाकड़ नि. हेमड़ा रहन BOB सुनेल	420	0.0885	सम्पूर्ण
नोदियानबाई पुत्री रामप्रताप हि. 1/6 जाति धाकड़ नि. हेमड़ा रहन BOB सुनेल	421	0.7082	सम्पूर्ण
भवानीलाल आ० धन्नालाल हि. 1/15 जाति धाकड़ नि. हेमड़ा	441	0.1770	सम्पूर्ण
मोतीलाल आ० धन्नालाल हि. 836/5385 जाति धाकड़ नि. हेमड़ा	442	0.0379	सम्पूर्ण
गायत्रीदेवी पत्नि राजाराम हि. 40/359 जाति गुर्जर नि. बडाय	443	0.1012	सम्पूर्ण
	444	0.3415	सम्पूर्ण
	445	0.6197	सम्पूर्ण
	किता 9	3.4051	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरण्य)
उपखण्ड अधिकारी पिंडावा
प्रियाबा, इलाहाबाद राज०

फाईनल डिग्री मुकदमा इबादाई
(ओ० २० रूल ७ जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी:-दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० १०५/२०२१

दायर दिनांक: २७.१२.२०२१

उनवान

- १ (मृतक) सोहनबाई पत्नी मदनलाल जाति धाकड़
- १/१ भगवानसिंह माता सोहनबाई पि. मदनलाल जाति धाकड़
- १/२ तेजपाल माता सोहनबाई पि. मदनलाल जाति धाकड़ नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन
- १/३ मधुवाला माता सोहनबाई पिता मदनलाल पत्नी हरिओम जाति धाकड़ नि. रावतभाटा तहसील रावतभाटा
- १/४ मदनलाल पिता घांसीलाल जाति धाकड़ नि. झालरापाटन तहसील झालरापाटन

— वादीगण

बनाम

१. केलाशचन्द आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
२. जतनबाई पत्नी धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
३. जानकीलाल आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
४. नोदियान बाई पत्नी केसरीलाल पुत्री रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हाल गादिया कुक्शा तह० रामगंजमण्डी
५. भेरूलाल आ० रामप्रताप जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
६. भवानीलाल आ० धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
७. मनोहर बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रूपलाल जाति धाकड़ नि. हाल धुआखेड़ी तह. भानपुरा
८. (मृतक) मानबाई पत्नी रामप्रताप जाति धाकड़
९. मोतीलाल आ० धन्नालाल जाति धाकड़ नि. हेमड़ा तहसील सुनेल
१०. रत्तुबाई पुत्री धन्नालाल पत्नी रामसिंह जाति धाकड़ नि. मरलावदा तह० पचपहाड़
११. मेनेजर साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सुनेल
१२. बैंक मेनेजर साहब, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा हेमड़ा
१३. तहसीलदार साहब, तहसील सुनेल

— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा ५३, २०९ रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

वकील वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. १ से १२ — एकतरफा

प्रतिवादी सं. १३ — परोकार सरकार

प्रतिवादी सं. ८ — परोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



निम्नलिखित मुद्दे संख्या X निम्नलिखित मुद्दालयह
हुम्न दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम हेमडा तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं. 191 किता 9 रकबा 4.5401 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	दिशा
1	मगवानसिंह नागर पि. मदनलाल हि. 1/4 जाति	416/1	1.0000	पश्चिम
	घाकड़ नि. झालरापाटन रहन BRKGB हेमडा	447/1	0.1350	मध्य
	तेजपाल नागर पि. मदनलाल हि. 1/4 जाति			
	घाकड़ नि. झालरापाटन रहन BRKGB हेमडा			
	मधुबाला नागर पिता मदनलाल हि. 1/4 जाति			
		किता 2	1.1350	
2	कलाशचन्द्र आ० रामप्रताप हि. 1/6 जाति घाकड़	416/2	0.5429	पूर्व
	नि. हेमडा रहन BOB सुनेल	447/2	0.4194	दक्षिण
	जानकीलाल आ० रामप्रताप हि. 1/6 जाति घाकड़	447/3	0.3688	उत्तर
	नि. हेमडा रहन BOB सुनेल	420	0.0885	सम्पूर्ण
	मेरूलाल आ० रामप्रताप हि. 1/6 जाति घाकड़ नि.	421	0.7082	सम्पूर्ण
	हेमडा रहन BOB सुनेल	441	0.1770	सम्पूर्ण
	नोदियानबाई पुत्री रामप्रताप हि. 1/6 जाति घाकड़	442	0.0379	सम्पूर्ण
	नि. हेमडा रहन BOB सुनेल	443	0.1012	सम्पूर्ण
	भवानीलाल आ० घन्नालाल हि. 1/15 जाति घाकड़	444	0.3415	सम्पूर्ण
	नि. हेमडा	445	0.6197	सम्पूर्ण
		किता 9	3.4051	


तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिदावा
जिला झालवाड, राज. ०
पिदावा, जिला झालवाड, राज. ०


निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ..
.....X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा
करलेगा।

भैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 29.09.2025 को जारी किया
गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अजी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अजी दावा	फीस कभि नर
स्टाम्प अदालत नाम	फीस कभि नर	स्टाम्प अजी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प बजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड़ राज0
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज0)